



## प्री-जी. एस. टी. टैक्स के लिये OTS योजना

### चर्चा के क्यों?

गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने प्री-जी. एस. टी. से संबंधित लंबित कर भुगतान के नपिटान हेतु वन टाइम सेटलमेंट-2023 (OTS) योजना की शुरुआत की है।

- यह योजना 1 जनवरी से 30 मार्च, 2024 तक चालू रहेगी।

### मुख्य बढि:

- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमनिस्ट्रेशन (HIPA), गुरुग्राम के सहयोग से एक जी. एस. टी. प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की।
- सरकार व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांगों का जवाब देने के लिये गुरुग्राम व हिसार में [वसतु एवं सेवा कर \(GST\) ट्रिब्यूनल](#) की शाखाएँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
- OTS योजना के तहत, कर राशियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बना विवाद वाले मामलों के लिये नरिविवाद शुल्क श्रेणी से होगी।
  - करदाता इस श्रेणी में **बना किसी दंड या ब्याज के 100% राशिका भुगतान** करेंगे।
  - **₹50 लाख** से कम के विवादित कर के मामले में करदाताओं को बकाया राशिका **30%** भुगतान करना होगा और यदि विवादित कर राशि **₹50 लाख** से अधिक है, तो उन्हें **50%** का भुगतान करना होगा।
  - तृतीय श्रेणी में अविवादित करों का नरिधारण विभाग द्वारा किया जायेगा जहाँ कोई अपील नहीं की गयी हो। यदि राशि **₹50 लाख से कम** है तो करदाताओं को **40%** और ₹50 लाख से अधिक होने पर **60%** का भुगतान करना होगा। जुर्माने और ब्याज से राहत मिलेगी।
  - चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि शामिल है। यहाँ, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को **केवल 30%** भुगतान करना होगा।
- यदि बकाया राशि **₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच** है, तो राशिका भुगतान दो कश्तों में किया जा सकता है।
- यदि बकाया **₹25 लाख से अधिक** है, तो भुगतान **तीन कश्तों** में बाँटा जा सकता है: **पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतमि 90 दिनों में 30%।**
- **OTS योजना 30 जून, 2017** तक उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग से संबंधित बकाया कर मुद्दों को संबोधित करती है। यह विशेष रूप से सात VAT-संबंधित अधिनियमों से संबंधित चर्तियों का समाधान करती है।